पत्रांकः 3/विविध–06–91/2018 3660

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

हेमन्त कुमार
अभियंता प्रमुख–I

सेवा में,

स्मार

अतिमहत्वपूर्ण

E-mail

FAX

सभी मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र,
F.F.P बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
झारखण्ड, राँची।

प्रबन्ध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, राँची।

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रशासक नगर निगम, राँची।

राँची/दिनांक :– 30/10/18

विषय :– विभिन्न सिंचाई प्रमण्डलों/अंचलों/कार्यालयों से संबद्ध सेवानिवृत कनीय अभियंताओं के पेंशनादि/सेवान्त लाभ के सभी लम्बित मामलों के निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–485 दिनांक–09.02.18 अनुवर्ती स्मार पत्रांक–1704 दिनांक–20.06.18, 1819 दिनांक–29.06.18 एवं अंतिम स्मार पत्रांक–2278 दिनांक–28.07.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं निर्गत विभागीय प्रसंगाधीन पत्र के साथ दिनांक–23.08.18, 24.08.18, 27.08.18, 28.08.18 एवं 29.08.18 को विभागीय विशेष सचिव के साथ प्रक्षेत्रावार सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय का कृपया निदेश किया जाय। उक्त क्रम में सूचित करना है कि विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा सेवानिवृत्ति मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पेंशनादि/सेवान्त लाभ के लम्बित सभी मामलों का हर हालत में दिनांक–31.10.18 तक नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। कनीय अभियंता के नियंत्री प्राधिकार कार्यपालक अभियंता होते हैं।

सेवानिवृत कर्मियों का सेवांत लाभ/पेंशनादि एवं उन्हें आदेय अन्य पावनाओं का ससमय भुगतान नहीं किए जाने के कारण माननीय न्यायालय, माननीय लोकायुक्त कार्यालय एवं मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उक्त के आलोक मे निदेशित करना है कि आपके नियंत्रणाधीन सेवानिवृत कनीय अभियंताओं के पेंशनादि/सेवान्त लाभ पर नियत तिथि के अंदर नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर वास्तविक संख्या के साथ प्रतिवेदन 31 अक्टूबर 2018 से पूर्व तक निश्चित रूपेण विशेष दूत के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही सभी मुख्य अभियंता को लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सेवानिवृत कनीय अभियंताओ के पेंशनादि/सेवान्त लाभ का लंबित नहीं होने के संबंध में भी सूचना विभाग को देना अनिवार्य है। नियत तिथि के बाद यदि कोई मामला आपके प्रक्षेत्राधीन लंबित पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।

विहित प्रपत्र

क्र०	कनीय अभियंता का नाम/आई० डी०/जन्मतिथि	सेवानिवृति/मृत्यु के समय पदस्थापित कार्यालय	सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि	लम्बित पेंशन इत्यादि की विवरणी	लम्बित रहने का औचित्य				कुल	अभ्युक्ति
					5 वर्ष से अधिक	2–5 वर्ष के बीच	1–2 वर्ष के बीच	1 वर्ष से छः माह के बीच		
1	2	3	4	5	6				7	8

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

30/x/18

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक– 3660 राँची, दिनांकः– 30/10/18

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–I के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

30/x/18

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख–I

Copy to Web Manager

30/x/18

D:\SEC-03\All chief Engineer (Pention October).docx